प्रेस विज्ञप्ति

08.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मैंगलोर उप आंचलिक कार्यालय ने महादेवप्पा रामपुरे मेडिकल कॉलेज छात्रवृत्ति घोटाले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, 04.09.2025 को मल्लन्ना एस. मद्दारकी की लगभग 85 लाख रुपये की चार अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने कर्नाटक के कलबुर्गी सिटी सीईएन क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा आईपीसी 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत भीमाशंकर बिलगुंडी, डॉ. एस. एम. पाटिल, सुभाष, केनरा बैंक प्रबंधक और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

पीएमएलए, 2002 के तहत जांच, अप्रैल और मई 2025 के महीने के दौरान धारा 17 के तहत किए गए तलाशी अभियान और उसके बाद की गई पूछताछ से पता चला है कि मुख्य आरोपी भीमाशंकर बिलगुंडी, (*एमआरएमसी का प्रबंधन करने वाली हैदराबाद एजुकेशन सोसाइटी के तत्कालीन अध्यक्ष),* ने एमआरएमसी के अकाउंटेंट सुभाषचंद्र जगन्नाथ और मल्लन्ना एस मद्दारकी (*एचकेई सोसाइटी के कार्यालय अधीक्षक*) की सहायता से, 2018 और 2024 के बीच की अवधि के दौरान, एमआरएमसी के पीजी मेडिकल छात्रों के बैंक खातों में जमा किए गए 33.34 करोड़ रुपये (लगभग) के वजीफे के फंड को उनके प्रवेश के समय उनसे खाली हस्ताक्षरित चेक लेकर और खाली चेक में विवरण भरकर उसे इनकैश करा कर छात्रों को उनके हकदार छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया था।

इस मामले में, मुख्य आरोपी भीमाशंकर बिलगुंडी द्वारा अपने बेटों के नाम पर खरीदी गई अचल संपत्तियों और भीमाशंकर बिलगुंडी के कई बैंक खातों के रूप में 5.87 करोड़ रुपये की अपराध आय (पीओसी) को ईडी द्वारा जुलाई 2025 में पहले ही कुर्क किया जा चुका है। इसी क्रम में, मुख्य आरोपी भीमाशंकर बिलगुंडी की ओर से पीओसी संभालने वाले मल्लन्ना एस मद्दारकी की संपत्तियों को भी कुर्क किया गया है।

आगे की जांच जारी है।